अध्याय II

बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता

2.1 प्रस्तावना

सामान्य बीमा सेवा 1994 में सेवा कर जाल के अधीन पहले शामिल तीन सेवाओं में से एक थी। जीवन बीमा सेवाएं और बीमा सहायक सेवाएं भी बाद में करयोग्य सेवाओं की सूची में शामिल की गई थी। अन्य सेवाओं जैसे बैंकिग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, तथा कारबार सहायक सेवाओं के साथ बीमा सेवाएं गत दो दशकों के दौरान प्रमुख राजस्व अंशदाता क्षेत्र बना हुआ है। बीमा क्षेत्र सम्बन्धित सेवाओं जैसे सामान्य बीमा सेवा, जीवन बीमा सेवा, बीमा सहायक सेवाएं तथा यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के अधीन निवेश का प्रबन्धन से सेवा कर राजस्व 2012-13 के वित्त लेखा के अनुसार ₹ 11,034 करोड़ (कुल सेवा कर राजस्व का 8.32 प्रतिशत) था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने कि बीमा क्षेत्र से भारत सरकार को देय सेवा कर वास्तव में सरकार को पहुंच रहा था, के लिए स्थापित तंत्र की पर्याप्तता की जांच की। निम्न निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी।

i. बीमा क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में समय –समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्र/निर्देश/व्यापार नोटिस आदि की पर्याप्तता;

ii. क्या कानून के वर्तमान प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;

iii. क्या सेवा कर उदग्रहण के लिए कर जाल में संभावित सेवा प्रदायकों को लाने और पहचान करने के लिए पर्याप्त तंत्र था, और

iv. क्या प्रभावी मॉनीटरिंग और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

जबकि लेखापरीक्षा जांच का क्षेत्र सामान्यतया 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि तक सीमित था परन्तु अन्तर्ग्रस्त मामलों के आधार पर कुछ विशेष दृष्टान्तों में हम इस अवधि से आगे भी गए थे। हमने बीमा दलालों, सलाहकारों, सर्वेक्षकों, निगम एजेंटों, व्यक्तिगत एजेंटों आदि सहित 31 बीमा मध्यस्थों के सुसंगत अभिलेखों के अतिरिक्त मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई में 39 पंजीकृत बीमाकर्ताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की। सम्बन्धित चयनित कमिश्नरियों में विभागीय यूनिटों में चयनित अभिलेखों/विवरणियों की भी जांच की गई थी।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सात कमिश्नरियों[13] में निर्धारिती अभिलेखों की संवीक्षा में ₹ 352.55 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ अनुपालन सम्बन्धित तथा अन्य मामलों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 80.87 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की (नवम्बर 2014) और ₹ 12.71 करोड़ की वसूली की। प्रमुख निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5 प्रणाली मामले

2.5.1 पंजीकरण

सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 प्रावधान करती है कि सेवा कर अदायगी को दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख जिसको उपर्युक्त अधिनियम की 66 के अंतर्गत सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है अथवा कर योग्य सेवा देने का कारबार आरंभ करने की तारीख से, यदि ऐसा कारबार वित्त अधिनियम के अंतर्गत उदग्रहण लागू करने के बाद आरंभ किया जाता है, से 30 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (एसीईएस)के स्वचलन की प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण अथवा पंजीकरण में संशोधनों हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाने हैं और पंजीकरण संख्या भी

[13] दिल्ली सेवा कर कमिश्नरी, एलटीयू कमिश्नरी दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई, सेवा कर I तथा II मुम्बई कमिश्नरियां तथा पुणे III कमिश्नरी

ऑनलाइन दी जाती है। बोर्ड के परिपत्र दिनांक 17 सितम्बर 2002 के अनुसार निर्धारिती को आवंटित सभी अस्थाई पंजीकरण संख्याएं पैन आधारित पंजीकरण संख्या में परिवर्तित की जाएंगी।

हमने इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताओं का अवलोकन किया:

i) अस्थाई पंजीकरण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में परिवर्तित न करना

अस्थाई पंजीकरण संख्याएं उन पंजीयनों को दिया जाता है जिनके पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या नहीं होती है। एक बार पैन प्राप्त किए जाने के बाद सेवा कर निर्धारिती को पैन आधारित 15 अंक सेवा कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अस्थाई पंजीकण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिए कोई समय सीमा विद्यमान नहीं है।

सेवा कर कमिश्नरी, दिल्ली की तीन रेजों में एसीईएस के माध्यम से नमूना जांच में पता चला कि निम्नलिखित निर्धारितियों के मामले में निर्धारितियों को जारी अस्थाई पंजीकरण संख्याएं पैन आधारित पंजीकरण संख्या (लेखापरीक्षा की तारीख तक) में परिवर्तित नहीं किया गया था। तथापि अस्थाई पंजीकरण जारी करने की तारीख के अभाव में अस्थाई पंजीकरण की स्थिति की निरन्तरता की वास्तविक अवधि की पहचान नहीं की जा सकी।

तालिका 2.1: एसटी पंजीकरणों की स्थिति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	अस्थाई एसटी पंजीकरण सं.
1.	जैन इंश्योरेंश इण्टरमीडिएटरीज प्रा.लि.	TMPRL9067OST001
2.	एमस्टन इंश्योरेंश कापो.	TMPRL8326DST001
3.	एएसएल इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्रा.लि.	TMPAQ7573OST001
4.	जीआई इंश्योरेंश सर्विसेज लिमि.	TMPRL8431OST001
5.	इंश्योरेंश इंजीनियर कापो.	TMPRL8323RST001
6.	4एस इंश्योरेंश	TMPRM3528LST001
7.	कुमरा इंश्योरेंश एण्ड फाइनेंसियल सोल्यूशन	TMPAM7155EST001

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी अस्थाई पंजीकरण संख्याओं को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में परिवर्तित करने के प्रयास जारी थे।

उत्तर पंजीकरणों की स्थिति की समीक्षा के प्रभावी तंत्र का अभाव दर्शाता है। अस्थाई पंजीकरण संख्या में पैन संख्या के अभाव में विभाग निर्धारिती के आयकर अभिलेखों के साथ जोड़ने में समर्थ नहीं होगा।

ii) एसीईएस में अस्थाई तथा स्थाई पंजीकरण दोनों सक्रिय

अस्थाई को स्थाई संख्या में बदलने के बाद अस्थाई पंजीकरण संख्या एसीईएस से स्वतः निकाल दी जानी चाहिए। इस प्रकार किसी निर्धारिती के पास अस्थाई पंजीकरण तथा पैन आधारित स्थाई पंजीकरण संख्या दोनों एक समय पर बने नहीं रह सकते हैं।

सेवा कर कमिश्नरी दिल्ली की तीन रेंजों में बीमा सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं की नमूना जांच में पता चला कि लगभग तीन मामलों में निर्धारितियों को स्थाई पंजीकरण संख्या जारी होने के बाद एसीईएस पर अस्थाई पंजीकरण भी दर्शाया गया था।

तालिका 2.2 निर्धारितियों के पंजीकरण की स्थिति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	अस्थाई एसटी पंजी.सं.	स्थाई एसटी पंजी.सं.
1.	एजिल इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्राइ.लिमि.	TMPAQ7265NST001	AAECA1449GST001
2.	इम्पीरियल इंश्योरेंश ब्रोकर्स (प्रा.) लिमि.	TMPRL9075JST001	AABCI0144FST001
3.	केन इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्राइवेट लिमि.	TMPAH5028YST001	AABCV0952EST001

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि एसीईएस में अस्थाई पंजीकरण के स्वतः विलोपन का कोई प्रावधान नहीं है। अस्थाई पंजीकरण जारी करना बन्द करने और तीन माह में वर्तमान अस्थाई पंजीकरण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि जहाँ तक संभव हो पैन आधारित स्थाई पंजीकरण संख्या आवंटित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

iii) एक ही निर्धारिती को एक से अधिक पंजीकरण संख्या जारी की गई

चयनित रेंजों से प्राप्त पंजीकृत निर्धारितियों की सूची की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सेवा कर कमिश्नरी दिल्ली में एक बीमा सहायक सेवा प्रदाता मै. रिया इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्राई. लिमि.को जारी किए गए पैन आधारित पंजीकरण संख्या AAACP6072AST002 के अतिरिक्त भिन्न पैन संख्या अर्थात AAACH2654JST001 के साथ एक अन्य पंजीकरण संख्या भी थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती को दोहरे पंजीकरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था जिसने सूचित किया कि वर्तमान में केवल एक पंजीकरण सक्रिय था और इसका पैन किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एक ही निर्धारिती को दोहरा पंजीकरण प्रणाली त्रुटि थी और मामले की समीक्षा की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक निर्धारिती के लिए अनन्य पैन आधारित पंजीकरण संख्या सुनिश्चित करने के लिए एसीईएस में एक तंत्र की आश्यकता है।

2.5.2 *पुनर्बीमा सेवाओं पर सेवा कर भुगतान न करना/विलम्बित भुगतान*

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 2 के अनुसार कराधान का बिन्दु का अर्थ समय के बिन्दु से है जब कोई सेवा दी गई मानी जाएगी। कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3 विचार करता है कि किसी मामले में जहाँ सेवा प्रदाता व्यक्ति बीजक जारी करने/सेवा के समापन से पूर्व जैसा भी मामला हो, भुगतान प्राप्त करता है वहाँ समय जब वह ऐसे भुगतान की सीमा तक ऐसा भुगतान प्राप्त करता है, कराधान का बिन्दु होगा। नियम की व्याख्या भी प्रावधान करती है कि जहाँ कहीं कुछ भी ज्ञात नाम द्वारा कोई अग्रिम करयोग्य सेवा के प्रावधान के प्रति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है वहाँ कराधान का बिन्दु प्रत्येक ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की तारीख होगा।

सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी में भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) सामान्य पुनर्बीमा सेवाएं देने वाला राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता होने पर अनिवार्य अर्पण[14] के पुनर्बीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए घरेलू गैर जीवन बीमाकर्ता के साथ ठेकागत रूप से बाध्य था। अनिवार्य अर्पण पर पुनर्बीमा अनुबन्ध के अनुसार पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई) की देयता अनिवार्य रूप से और साथ ही उस बीमाकर्ता कम्पनी के साथ आरंभ होगी जिसका अर्थ सेवा की लगातार आपूर्ति के रूप में सेवा दी जानी मानी जाती है जब मूल पॉलिसी जारी की जाती है। इस पुनर्बीमा सेवा को देने के लिए बीमाकर्ता कम्पनी प्रतिफल के रूप में प्रीमियम अदा करती है जो तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर केवल लेखाओं के विवरण (एसओए) के रूप में जीआईसी आरई को परामर्श दिए जाने के कारण है। इसलिए जीआरसी आई की लेखा बहियां प्रत्येक तिमाही के अंत के 45 दिन बाद भी खुली रखी जाती हैं और बीमाकर्ता कम्पनियों द्वारा यथा विवेचित वास्तविक आंकड़े उसके बाद दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार पूर्व में जारी पॉलिसियों पर जीआईसी द्वारा काल्पित पुनर्बीमा जोखिम के लिए दी गई सेवाएं होने पर घरेलू बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा प्रीमियम की प्राप्ति (दी गई सेवाओं के लिए भुगतान की तारीख) और लेखाओं का विवरण तिमाही की समाप्ति से 45 से 60 दिनो तक के बीच केवल आवधिक आधार पर था। उपचित आधार पर देयता अप्रैल 2011 से लागू हुई।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए दाखिल एसटी 3 से हमने पाया कि जीआईसी आरई ने ₹ 221.11 करोड़ मूल्य पर पुनर्बीमा सेवाओं के अंतर्गत कर योग्य सेवाएं प्रदर्शित की थीं। वित्त वर्ष 2011-12 में सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा जारी ऐसी पॉलिसियों पर प्रीमियम राशि से सम्बन्धित और जीआईसी को अनिवार्य रूप से सतातान्तरित राशि जो पूर्व में बताए कारणों से वित्त वर्ष 2012-13 में बुक की गई थी। चूंकि राशि वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित थी और कर 2012-13 में अदा किया गया था, परिणामस्वरूप

[14] अनिवार्य अर्पण का अर्थ है कि प्रत्येक गैर जीवन बीमाकर्ता मूल बीमाकृत को गैर जीवन बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी (जैसा आईआरडीए द्वारा निर्दिष्ट किया जाए) पर सुनिश्चित राशि के ऐसे प्रतिशत पर भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा करेगा।

सेवा कर का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 58.98 लाख का ब्याज देय था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (नवम्बर 2014) कि जीआईसी ने बिलम्बित भुगतान के कारण ब्याज के रूप में ₹ 58.98 लाख का भुगतान कर दिया था।

2.5.3 प्रावधान के संशोधन में अस्पष्टता के कारण सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों की गैर कर योग्यता

तत्कालीन वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ)के अंतर्गत परिभाषित की गई निवेश के प्रबन्धन (सामान्य रूप से यूलिप योजना के रूप में ज्ञात) के संबंध में जीवन बीमा कारबार कर रहे किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी पॉलिसी धारक को दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा 16 मई 2008 से कर योग्य बनाई गई थी। कर योग्य सेवा का मूल्य अथवा प्रभारित सकल राशि पॉलिसी धारक द्वारा अदा किया गया कुल प्रीमियम और जोखिम कवर को आरोप्य प्रीमियम की राशि तथा वास्तविक निवेश के लिए अलग की गई राशि के बीच अन्तर था। इस प्रकार कर योग्य मूल्य अन्य के साथ प्रीमियम आबंटन, पॉलिसी प्रशासन, बदलने, अभ्यर्पण प्रभारों आदि के कारण उदग्रहीत प्रभारों के भी सहित था। निर्धारिती तदनुसार इन मदों पर भी कर का भुगतान कर रहे थे।

मूल्यांकन की यह विधि यह प्रावधान करने कि प्रभारित सकल राशि निधि प्रबन्धन प्रभारों अथवा बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित राशि, जो भी अधिक हो, के रूप में बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि होगी जिसे 1 जुलाई 2010 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) द्वारा आशोधित किया गया था । इसका प्रभाव यह था कि बीमा कम्पनियों ने अन्य घटकों जैसे पॉलिसी प्रशासन प्रभार, बदलने, अभ्यर्पण प्रभार, प्रीमियम आवंटन प्रभारों आदि को आगे करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया (जुलाई 1, 2010 से)।

तथापि, हमने पाया कि बजट 2010-11 में सेवा कर कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्पष्ट करने के दौरान वित्त मंत्रालय ने विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अ.शा.पत्र सं. 334/1/2010/टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 के अनुबन्ध ख के पैरा 3.4 के तहत अन्य बातों के साथ सूचित किया था कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत कर को प्रभार्य थे। तथापि यूलिप संदर्भ में "प्रभारित सकल राशि" की नई परिभाषा का लाभ लेते समय निर्धारितियों ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत कर को प्रभार्य थे, इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अ.शा. पत्र के बावजूद दोनों कर योग्य सेवाओं यथा यूलिप तथा जीवन बीमा सेवाओं के अंतर्गत यह अपूरित रहा।निर्धारितियों द्वारा लिया गया आधार यह था कि जीवन बीमा कारोबार से सम्बन्धित उपर्युक्त धारा 65 (105) (जैडएक्स) के अंतर्गत कर योग्य सेवा की परिभाषा स्वयं सांविधिक प्रावधान में 1 मई 2011 से प्रभावी संशोधन नहीं किया गया, तक जीवन बीमा में जोखिम कवर के सम्बन्ध में केवल दी गई सेवाओं को शामिल किया गया। जीवन बीमा सेवा का क्षेत्र जोखिम तथा निवेश प्रबन्धन दोनों घटकों को शामिल करने के लिए 1 मई 2011 से बढ़ाया गया था। इस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम की धाराओं 65(105) (जैडएक्स), 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) और टीआरयू के अ.शा.पत्र दिनांक 26 फरवरी 2010 के बीच असमानता के परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के दौरान राजस्व की हानि हुई। चूंकि जुलाई 2010 से प्रभावी धारा 65 (105) (जैडजैडजैडजैडएफ) के संशोधन ने धारा 65(105) (जैडएक्स) में कवरेज के क्षेत्र से समकालिक नहीं किया था इसलिए कुछ घटक सेवा के दोनों शीर्ष के अंतर्गत उदग्रहण से बाहर कर दिए गए परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

(i) लेखापरीक्षा में निम्न तालिका में दिए अनुसार दिल्ली तथा मुम्बई कमिश्नरियों के 5 बीमाकर्ताओं के अभिलेखों से पाया गया कि 2010-11 की अवधि के दौरान निर्धारितियों ने अधिनियम की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) के अंतर्गत यूलिप की कर योग्य सेवाओं की संशोधित परिभाषा के कारण पॉलिसी प्रशासन प्रभारों, आवंटन प्रभारों, फ्रान्ट एण्ड लोड प्रभारों, विविध प्रभारों, आरम्भिक फीस, पॉलिसी फीस तथा परिवर्तन फीस के

प्रति संग्रहीत राशि को यूलिप के अंतर्गत सेवाओं के मूल्य से निकाल दिया था। इन प्रभारों पर सेवा कर देयता जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के दौरान अपूरित रही।

तालिका 2.3: कर योग्य सेवाओं के मूल्य से निकाली गई राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमाकर्ता कम्पनी का नाम	कमिश्नरी	प्रभारों की राशि	सेवा कर
1.	मैं. मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. दिल्ली	एलटीयू कमिश्नरी दिल्ली	520.43	77.67
2.	मैं. अवीवा लाइफ इंश्योरेंश कं. इण्डिया लि.	एसटी कमिश्नरी दिल्ली	210.21	31.69
3.	मैं. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.	एसटी कमिश्नरी दिल्ली	125.69	18.76
4.	मैं. डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंश कं. प्रा. लिमिटेड	एसटी कमिश्नरी दिल्ली	18.08	2.70
5.	मैं. आईसीआइसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंश कं.लि.	एसटी-I कमिश्नरी मुम्बई	0.97	0.10
	जोड़		**875.38**	**130.92**

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने मैं. मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. के मामले में बताया (नवम्बर 2014) कि विषय नीति मामला होने के कारण उच्च कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। मैं. अवीवा लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. के संबंध में निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था जो न्याय निर्णय को लम्बित था। मैं. केनरा एचएसबीसी आरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाईफ इंश्योरेंश कं. लि. तथा मैं. डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंश कं. प्रा. लि. के सम्बन्ध में मामला महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा जांच के अधीन था। जबकि मैं. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. के मामले में मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि जैसा बोर्ड के पत्र फा. सं. 334/1/2010-टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 द्वारा स्पष्ट किया केवल निधि प्रबन्धन प्रभार सेवा कर को प्रभार्य था। इस प्रकार मंत्रालय ने समान मामलों में भिन्न विचार लिए।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 2010 से पूर्व सभी प्रकार के प्रशासन प्रभार कर योग्य थे और यूलिप के संबंध में बोर्ड के परिपत्र का पैरा 3.4 (ख) भी बताता है कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत सेवा कर को प्रभार्य थे। लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप सूचित मामलों में ₹ 130.92 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ii) इसी प्रकार तीन निर्धारितियों, जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया, के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 में अस्पष्टता के कारण 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान अभ्यर्पण प्रभारों पर सेवा कर अदा नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 121.48 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

तालिका 2.4 अभ्यर्पण प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

(₹ लाख में)

कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	अभ्यर्पण प्रभारों की राशि	सेवा कर	ब्याज*	कुल राशि
दिल्ली एलटीयू	मैं. मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. दिल्ली	26,205.57	2,728.28	1,082.92	3,811.20
दिल्ली एसटी	मैं. डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंश कं. प्रा. लिमिटेड	127.44	12.40	2.76	15.16
दिल्ली एसटी	मैं. अवीवा लाइफ इंश्योरेंश कं. इण्डिया लिमिटेड	57,936.45	6,055.92	2,266.36	8,322.28
जोड़		84,269.46	8,796.60	3,352.04	12,148.64

*ब्याज लेखापरीक्षा की तारीख (सितम्बर/अक्तूबर 2013) तक क्रमश: 2010-11 से 2012-13 तक से सम्बन्धित 31 महीनों से 6 महीने की बीच की अवधि के विलम्ब के लिए 18 प्रतिशत की दर पर संगणित है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्तूबर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि मैं. मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कं. लि. का मामला पहले ही डीजीसीईआई द्वारा जांच के अधीन था और ₹ 62.82 करोड़ के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीसीईआई द्वारा जारी एससीएन लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित आपत्ति को कवर नहीं करता है। मैं. डीएलएफ प्रेमेरिका का मामला डीजी (लेखापरीक्षा)

द्वारा जांच के अधीन था और मैं. अवीवा लाइफ को जारी एससीएन न्यायनिर्णय को लम्बित था।

2.5.4 प्रतिभूतियों में व्यापार के कारण सेनवेट क्रेडिट का आनुपातिक उलटाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 (1 जुलाई 2012 से पूर्व विद्यमान) के नियम 2(ड़) की व्याख्या के अनुसार मुक्त सेवाओं में "व्यापार " शामिल होता है। इसके अलावा सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) के संशोधित नियम 2(ड) 2 के अनुसार 'मुक्त सेवा' का अर्थ उसे सेवा से है जिस पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख के अंतर्गत कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66घ सेवाएं निर्दिष्ट करती है जिन पर कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है और "माल का व्यापार" शामिल होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65 ख(25) निर्दिष्ट करती है कि माल में प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। इसलिए प्रतिभूतियों का व्यापार एक मुक्त सेवा है।

हमने सेवा कर ।। मुम्बई कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मैं. स्टार यूनियन दाई –इची लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए) के अंतर्गत आनुपातिक उलटाव हेतु मुक्त सेवा के रूप में प्रतिभूतियों में व्यापार मान रहा था जो पहलू विभाग को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अन्दर अन्य बीमा कम्पनियों के अभिलेखों की हमारी विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के दौरान हमने पाया कि किसी भी कम्पनी ने इस कारण आनुपातिक उलटाव का प्रभाव देने के उद्देश्य से कोई ऐसी गणना प्रकट नहीं की थी। निर्धारिती ने तर्क दिया कि 'निवेश' उनके कोर कार्यकलापों में से एक है और कि उनके द्वारा किया गया व्यापार कोई लाभ कमाने के किसी इरादे के साथ नहीं हैं परन्तु केवल अपनी दैनिक कारबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। तथापि सेनवेट क्रेडिट के वर्तमान प्रावधान विशेष रूप से ऐसे उलटाव की अपेक्षा करते हैं यदि बीमा कम्पनियों द्वारा प्रतिभूतियों में कोई व्यापार कार्यकलाप हुआ है। यह तथ्य कि कम से कम एक निर्धारिती व्यापार कार्यकलापों के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट का उलटाव कर रहा है, मामले की जांच करने और स्पष्टीकरण देने की विभाग की आवश्यकता को दर्शाता है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति (नवम्बर 2014) स्वीकार नहीं की कि इनडाउमेंट पॉलिसियों में तथा प्रीमियम के निवेश में बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई सेवाएं सेवा कर के अध्यधीन हैं। यूलिप अथवा इनडाउमेंट पॉलिसी के संबंध में पॉलिसी धारक की निधि का निवेश करने का कार्यकलाप न तो किसी अधिसूचना द्वारा मुक्त किया जाता है और न ही गैर कर योग्य है। इसलिए बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई सेवाएं 'मुक्त सेवाओं' की परिभाषा में नहीं आती हैं इसलिए नियम 6(3) के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। यह आगे बताया गया कि बीमा कम्पनी द्वारा दी गई सेवा की कर योग्यता मिश्रित तथा समूहित होने पर इस मानदण्ड पर निर्धारित की जाती है कि एकल सेवा (मिश्रित सेवाओं का भाग बनने वाली सभी सेवाओं में से) जो सेवा देती है, उसकी अनिवार्य विशेषता मुख्य कर योग्य सेवा के रूप में मानी जाएगी। निवेश करने का कार्यकलाप केवल एक सहायक कार्यकलाप है जबकि अनिवार्य विशेषता पॉलिसी धारक जीवन के जोखिम के कवरेज द्वारा दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिभूतियों में व्यापार वित्त अधिनियम की धारा 66डी के अंतर्गत नकारात्मक सूची में कवर होता है और सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के उपनियम 2 (ई) (ii) के अंतर्गत छूट प्राप्त सेवा की संशोधित परिभाषा के अनुसार सभी सेवाएं जिन पर अधिनियम की धारा 66बी के अंतर्गत कोई कर उद्ग्राह्य नहीं है वहाँ छूट प्राप्त है। इसलिए नियम 6(3) वर्तमान मामलों में लागू है और प्रतिभूतियों में मूल्य के लिए आनुपातिक क्रेडिट का उलटाव किया जाना है।

तथापि लेखापरीक्षा सिफारिश (जून 2014)कि सीबीईसी बीमा सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए निवेश कार्यकलापों के भाग के रूप में व्यापार के संबंध में सही संसाधन पर स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करे, पर मंत्रालय ने यह कहते हुए मामला स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2014) कि प्रतिभूति का व्यापार मुक्त सेवा है और सेनवेट क्रेडिट उलटा जाना अपेक्षित है जो उपर्युक्त पैरा के उत्तर में व्यक्त विचारों के विपरीत है। लेखापरीक्षा दोहराता है कि मंत्रालय विभागीय अधिकारियों द्वारा संगति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करे और सेनवेट क्रेडिट का उलटाव लागू प्रावधानों के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं से सुनिश्चित किया जाए।

2.5.5 *समीक्षा में उल्लेख न किए गए अनन्तिम निर्धारण का गलत अन्तिमीकरण*

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(55) (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) 'बीमा सहायक सेवा' को सामान्य बीमा कारबार अथवा जीवन बीमा कारबार के संबंध में किसी बीमांकिक एक मध्यस्थ अथवा बीमा मध्यस्थ अथवा बीमा एजेंट द्वारा दी गई सेवा के रूप में परिभाषित करती है और जोखिम निर्धारण, दावा निपटान, सर्वेक्षण तथा हानि निर्धारण शामिल करती है।

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(4) अनन्तिम रूप से सेवा कर भुगतान करने के विकल्प का प्रावधान करता है जहाँ एक निर्धारिती किसी कारण से जमा की तारीख को किसी माह अथवा तिमाही, जैसा भी मामला हो, के लिए देय वास्तविक राशि का सही प्रकार अनुमान करने में असमर्थ है। अन्तिम निर्धारण के आदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 7(3) के अंतर्गत पारित किए जाएंगे।

एलटीयू कमिश्नरी चेन्नई में मैं. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमि. ने 2008-09 से 2010-11 वित्तीय वर्षो के लिए अनन्तिम निर्धारण का विकल्प दिया था क्योंकि 1430 शाखाओं से समय पर उनको डाटा न पहुंचने के कारण देय तारीखों से पूर्व वे अपनी कर देयता अन्तिम नहीं कर सके। हमने पाया कि अनन्तिम आधार पर बीमा सहायक सेवा के अंतर्गत एजेंसी कमीशन पर प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा कर का क्रेडिट प्रत्येक माह इनपुट सेवा क्रेडिट के रूप में लिया गया था। तथापि कथित अनन्तिम निर्धारणों के अन्तिमीकरण के दौरान यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था। तदनुसार मूल आदेश में बताया गया कि एजेंसी कमीशन से सम्बन्धित अधिक प्रदत्त सेवा कर तथा उपकर राशियों का बाद के महीनों में निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जाए। निर्धारिती ने क्रमश:अप्रैल 2009, अप्रैल2010 तथा अप्रैल 2011 के महीनों के दौरान आऊटपुट सेवा कर के प्रति समायोजन हेतु उसका उपयोग किया। चूंकि अनन्तिम रूप से प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा कर/उपकर प्रत्येक माह क्रेडिट के रूप में लिया गया था इसलिए अधिक प्रदत्त सेवा कर के प्रतिदाय का प्रश्न नहीं उठता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.31 करोड़ के प्रतिदाय की गलत मंजूरी हुई। उचित ब्याज भी वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2012) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि सेवा प्रदाता को दावित तथा अभ्यर्पित अधिक राशि की मांग ब्याज तथा बराबर शास्ति के साथ पुष्ट थी।

तथ्य यह शेष रहता है कि मूल आदेश दिनांक 26 मई 2011 तथा 30 मई 2012 की समीक्षा की गई थी और आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए थे। दो लगातार वर्षों में भी समीक्षा में त्रुटि ध्यान में नहीं आई थी, कमिश्नरी में उचित प्रणालियों की कमजोरियों का संकेत है।

सिफारिश सं. 1

विभाग उच्च मूल्य अनन्तिम निर्धारण मामलों के अन्तिमीकरण हेतु जांच सूची लागू करने पर विचार करें।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि सुझाव को नोट कर लिया गया है।

2.6 अनुपालन मामले

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के सम्बन्ध में स्वनिर्धारण आरम्भ किया। स्वनिर्धारण के आरम्भ के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी/निवारक शाखा के माध्यम से सख्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का भी प्रावधान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त के बावजूद निर्धारिती अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ मामले देखे जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का संकेत करते है।

2.6.1 सेवाओं के आयात के लिए प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 2(1) (घ) (IV) अनुबद्ध करता है कि कोई व्यक्ति जो अनिवासी है अथवा भारत से बाहर का है और भारत में उसका कार्यालय नहीं है, द्वारा दी गई कर योग्य सेवा के संबंध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर अदा करने का दायी है।

इसके अतिरिक्त सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र नियमावली 2012 का नियम 9 प्रावधान करता है कि सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र निम्नलिखित मामलों में सेवा प्रदाताओं का स्थान होगा (क) खाताधारकों को बैंकिंग कम्पनी अथवा

वित्तीय संस्थान अथवा गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी द्वारा दी गई सेवाएं, (ख) ऑनलाइन सूचना तथा डाटाबेस पहुंच अथवा सुधार सेवाएं, (ग) मध्यस्थ सेवाएं तथा (घ) परिवहन के साधन किराए पर लेने से बनी सेवा। सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र नियमावली 2012 के नियम 2(च) के अनुसार "मध्यस्थ" का अर्थ एक दलाल, एक एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो भी नाम कहा जाए से है जो दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच सेवा (मुख्य सेवा) के प्रावधान का प्रबन्ध करता है अथवा सरल बनाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान विदेशी सेवा प्रदाताओं प्राप्त बीमा सहायक सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत 5 निर्धारितियों ने ₹ 7.05 करोड़ की सेवा कर देयता पूरी नहीं की थीं।

तालिका 2.5 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

(₹ लाख में)

कमिश्नरी	निर्धारिती	सेवा का विवरण	प्राप्त सेवाओं का मूल्य/किया गया व्यय	सेवा कर राशि*
एलटीयू दिल्ली	मैं. द ओरियन्टल इंश्योरेंश कं. लिमि.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को सौंपा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	4,227.78	566.10
एसटी दिल्ली	मैं. एस इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्रा.लिमि.	विदेश स्थित इंश्योरेंश ब्रोकर कारबार वृद्धि खर्चे	697.30	105.06
		प्रायोजक**द्वारा प्रदत्त प्रायोजित खर्चे	62.66	9.35
			17.96	2.45
एसटी दिल्ली	मैं. कारपोरेट वारंटीज इण्डिया प्रा. लि. इंश्योरेंश ब्रोकर	उपर्युक्त विदेशी पार्टी को प्रदत्त साफ्टवेयर अंशदान फीस	136.06	19.21
एसटी	मैं. अवीवा लाइफ इंश्योरेंश कं (इण्डिया) लिमि.	सर्वेक्षण हेतु विदेशी भुगतान	8.15	1.00
एसटी दिल्ली	मैं. बजाज केपीटल इंश्योरेंश ब्रोकिंग लिमि.	पुनर्बीमा कारबार कमीशन	14.68	2.27
		जोड़	**5,164.59**	**705.44**

*लेखापरीक्षा की तारीख तक ब्याज सहित

** परिपत्र दिनांक 28 फरवरी 2006 के तहत, सेवा कर सेवा प्रापक यथा प्रायोजक – निकाय निगम/फर्म से प्रतिलोम प्रभार विधि के अंतर्गत संग्रहीत किया जाना है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि ओरियंटल इंश्योरेंश कं. लि. के संबंध में तथ्य जांचाधीन थे और एससीएन जारी किया गया था। मैं. कारपोरेट वारन्टीज इण्डिया प्रा.लिमि.तथा मैं. बजाज कैपीटल इंश्योरेंश ब्रोकिंग लिमि. ने सेवा कर का भुगतान कर दिया था। मैं. अवीवा लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी (इण्डिया) लिमि. को एससीएन जारी किया गया था जो न्यायनिर्णय को लम्बित था। मैं. एस इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्रा. लिमि. के संबंध में मंत्रालय ने प्रायोजक द्वारा प्रदत्त प्रायोजिता खर्चों के संबंध में ₹ 4.67 लाख की आंशिक वसूली सूचित की। शेष दो सेवाओं का उत्तर प्रतीक्षित था।

2.6.2 आतंकवाद प्रीमियम

अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा एक पहल के रूप में भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया था। यह मैं. सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) के साथ किसी भी सदस्य और सहमत अनुपात में पुनर्बीमाकर्ता के रूप में सभी अन्य सदस्यों द्वारा बीमाकृत आतंकवाद जोखिमों के बहुपक्षीय पुनर्बीमा प्रबन्ध के रूप में कार्य करता है। पूल जीआईसी द्वारा प्रबन्धित है और सम्पत्ति के बीमाओं के साथ बीमाकृत आतंकवाद जोखिम के सभी बीमाओं को लागू है। आतंकवाद जोखिम के बीमा की देयता की अधिकतम सीमा पूल बीमांकन समिति द्वारा जैसा निर्णय किया जाए और जैसा समय-समय पर बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के पास दाखिल किया गया, होगी। वर्तमान में पूल ₹ 1000 करोड़ प्रति स्थान का प्रस्ताव करता है। स्वयं पूल सामान्य रेंजों/भयंकर हानियों के बाहर स्वयं दावों के प्रति सुरक्षित रखने के लिए हानि के आधिक्य (एक्सओएल) पुनर्बीमा कवर द्वारा संरक्षित किया जाता है। अध:शायी सीमा से अधिक कोई दावे पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल किए जाएंगे। एक्सओएल कवर पर पुनर्बीमाकर्ताओं के रूप में भाग लेने में हितबद्ध पूल सदस्यों को प्राथमिकता आधार पर शेयर दिए जाते हैं और बकाया विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को दिया जाता है (विदेशी अर्पण)।

2.6.2.1 आतंकवाद पूल से संबंधित पश्चगमन प्रीमियम पर सेवा कर की गैर अदायगी

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथालागू) की धारा 65(105) (जैडएक्स) के साथ पठित धारा 66 विचार करती है कि जीवन बीमा कारबार करने वाले पुनर्बीमाकर्ता सहित किसी बीमाकर्ता द्वारा एक पॉलिसी धारक अथवा किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली कोई सेवा कर योग्य सेवा है। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के मामले में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66क के प्रावधान के अन्तर्गत प्रतिलोम प्रभार के अधीन देयता सेवा पाने वाले द्वारा वहन की जानी थी। 1 जुलाई 2012 से ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवा को छोड़कर दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत होगा।

पूलिंग प्रबन्ध के बल पर जीआईसी आरई, राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता पूल प्रबन्धक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर सभी सदस्यों द्वारा पूल को अन्तरिक कुल प्रीमियम उनकी सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शेयर प्रतिशतता की दर पर प्रत्येक पूल सदस्य को जीआईसी आरई द्वारा बांटा जाता है और मैट्रिक्स के रूप में वित्त वर्ष के अंत में उन्हें सूचित किया जाता है। इस प्रकार पश्चगमन जिसमें लेन देन शामिल होता है जिसके द्वारा एक पुनर्बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता पुनर्बीमा का सम्पूर्ण अथवा पुनर्बीमा का भाग सौंप देता है यह इस प्रक्रिया द्वारा पूर्व में किया गया माना जाता है। तथापि स्वयं का शेयर प्रीमियम सौंपने के लिए माना नहीं जाता है। इस प्रकार आतंकवाद जोखिमों के लिए बीमाकृत कोई राशि पुनर्बीमाकर्ता के रूप में सभी पूल सदस्यों की भागीदारी के माध्यम से इस रीति में पुनर्बीमा की जाती है।

चूंकि ऊपर वर्णित कार्यकलाप स्पष्टतया पुनर्बीमा की प्रकृति में है इसलिए सेवा कर देयता उत्पन्न होगी जो उसके सम्बन्धित अनुपाती शेयरों के आधार पर प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता सदस्य द्वारा निभाई जानी है। हमने पाया कि जबकि पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी के शेयर की सेवा कर देयता जीआईसी द्वारा निभाई जाती है वहीं सौंपी गई प्रीमियम राशियों के उनके भाग पर प्रत्येक अन्य सदस्य की सेवा कर देयता भी मैट्रिक्स में निकाली गई थी और जीआईसी द्वारा

सूचित की गई थी। प्रत्येक सदस्य कम्पनी उनके नामों में पश्चगामित आतंकवाद प्रीमियम की राशि पर अपनी सेवा कर देयता निभाएगा।

तथापि, हमने पाया कि 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मैट्रिक्स अभी भी जीआईसी में तैयारी के अधीन था जबकि 2012-13 का मैट्रिक्स तैयार था। चूंकि सेरा द्वारा कवर वर्षों (2010-11 से 2012-13) के लिए जीआईसी द्वारा पश्चगामित राशियों का उनका शेयर सदस्यों को अभी सूचित किया जाना है जिसके लिए मैट्रिक्स सेरा जांच के समय पर तैयार था इसलिए उस पर देयता निभाई नहीं गई है। यह पाया जाता है कि आईआरडीए द्वारा निर्धारित कार्यविधि के कारण पश्चगमन मैट्रिक्स की तैयारी के अन्तिमीकरण की लम्बी प्रक्रिया के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ है। सेवाओं के मूल्यांकन के उपचित आधार पर सेवा कर प्रावधानों का गैर जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया/तंत्र के साथ अनुपालन नहीं किया गया है।

जीआईसी आरई द्वारा तैयार मैट्रिक्स[15] की लेखापरीक्षा संवीक्षा से जीआईसी को छोड़कर सभी सदस्य गैर जीवन बीमा कम्पनियों से सम्बन्धित ₹ 47.38 करोड़ की राशि की सेवा कर देयता की गैर अदायगी का पता चला जैसा निम्नलिखित तालिका में चित्रित है जिसे ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6 : लौटाई राशियों पर सेवा कर देयता

(₹ लाख में)

प्रीमियम का विवरण	वर्ष	देय कुल सेवा कर	जीआईसी आरई की सेवा कर देयता (पहले प्रदत्त)	जीआईसी के अतिरिक्त बीमा कम्प. से वसूल किए जाने वाला सेवा कर
पश्चगमन प्रीमियम	2012-13	5,014.26	886.44	4,127.82
पश्चगमन प्रीमियम (एक्सओएल)	2012-13 2011-12	156.08 43.00	51.98 13.71	104.11 29.29
पश्चगमन प्रीमियम (विदेशी अर्पण)	2012-13 2011-12	461.99 109.77	73.92 21.30	388.07 88.48
जोड़		5,785.10	1,047.35	4,737.77

[15] स्रोत दस्तावेज: घरेलू अर्पण, एक्सेस आफ लौस (एक्सओएल) प्रीमियम और जीआईसी द्वारा तैयार पूल सदस्यों को वर्ष 2012-13 तथा 2011-12 के लिए एक्सेस आफ लौस (एक्स ओएल) प्रीमियम का विदेशी अर्पण और जीआईसी आरई से प्राप्त उन पर सेवा कर देयता

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014)कि एलटीयू दिल्ली कमिश्नरी के अंतर्गत निर्धारिती को सेवा कर जमा करने को कहा गया है। एलटीयू - चेन्नई कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया कि मैट्रिक्स तैयार कर लिए गए हैं और सेवा कर देयताएं निभाने के लिए सदस्य कम्पनियों को भेज दिए गए हैं। एलटीयू-चेन्नई कमिश्नरी के अंतर्गत दो निर्धारितियों ने सेवा कर देयताओं का भुगतान कर दिया था। मुम्बई एसटी-। कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि विभिन्न तकनीकी मामलों के कारण मैट्रिक्स प्रस्तुत करने में जीआईसी की और से विलम्ब हुआ था और प्रक्रिया को अब सरल और कारगर बना दिया गया है।

2.6.2.2 विशेष बीमा पूल प्रबन्ध पर प्राप्त सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

i) मैं. जनरल बीमा निगम (जीआईसी आरई) अर्थात पूल प्रबन्धक और अनुबन्ध की अनुसूची में नामित प्रत्येक गैर जीवन बीमाकर्ताओं के बीच भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल पर अनुबन्ध दिनांक 25 जुलाई 2007 की शर्तों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

भारतीय आतंकवाद पूल (पूल) के संघटक सभी सामान्य बीमा कम्पनियां, जो आतंकवाद जोखिमों की पॉलिसियों के प्रीमियम अंकित करते हैं और राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता मैं. जनरल बीमा निगम (जीआईसी आरई) हैं। यद्यपि जीआईसी सीधे प्रीमियम अंकित नहीं करती है फिर भी यह अन्य सदस्य कम्पनियों द्वारा पूल में अन्तरित प्रीमियम राशियों से निश्चित शेयर के साथ पूल का एक सदस्य है। अन्य सदस्य कम्पनियां भी पूल में अपना सम्बन्धित शेयर रखती हैं। जीआईसी पूल प्रबन्धक है, चूंकि पूल का प्रबन्धन तथा प्रशासन इसमें निहित है और इस कार्यकलाप हेतु यह आतंकवाद जोखिम के बीमा के मूल प्रीमियम के एक प्रतिशत की दर पर प्रबन्धन कमीशन नामक फीस प्रभारित करता है।

जीआईसी आरई के लेखाओं तथा आतंकवाद पूल तिमाही पश्च लेखा विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जीआईसी आरई ने सेवाप्रभारों के रूप में 1 प्रतिशत की दर पर फीस प्रभारित की थी। तथापि 2011-12 तथा 2012-

13 की अवधि की एसटी -3 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि जीआईसी आरई सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा था जो कर योग्य सेवाओं का मूल्य बनते हैं। पश्चगमन प्रीमियम के मैट्रिक्स, जो पूल के सदस्यों से प्राप्त लेखाओं के विवरण के आधार पर जीआईसी आरई द्वारा तैयार किया जाता है, ने दर्शाया कि पूल ने 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 145.52 करोड़ तथा ₹ 448.24 करोड़ का कुल निवल प्रीमियम प्राप्त किया। पूल प्रबन्धक होने पर जीआईसी आरई ने मूल प्रीमियम के 1 प्रतिशत की दर पर अनुबन्ध के अनुसार कुल ₹ 6.60 करोड़ प्राप्त किया जिस पर उन्होंने ₹ 78.21 लाख का सेवा कर अदा नहीं किया था जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि मामला परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के तहत स्पष्ट किया गया है। जीआईसी आरई अन्य बीमाकर्ताओं के साथ केवल खर्चों को बांट रहा है और इस कार्यकलाप पर कर नहीं लगेगा। चूंकि बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमाकर्ता दोनों सम्पूर्ण राशि के रूप में सेवा कर का भुगतान करते हैं इसलिए किसी अन्य सेवा के अंतर्गत सेवा कर प्रभारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आतंकवाद पूल अनुबन्ध के खण्ड 10 तथा 16 से पता चलता है कि अन्य पूल सदस्यों से देय फीस पूलिंग प्रबन्ध के प्रशासन के प्रबन्धन के लिए पूल प्रबन्धक द्वारा प्रभारित पारिश्रमिक है। इस प्रकार यह स्पष्टतया ऐसी स्थिति है जहाँ सेवा पाने वालों के रूप में पूल के अन्य सदस्यों को पूल प्रबन्धक के रूप में जीआईसी आरई द्वारा दी गई सेवा है और सीबीईसी के ऊपर उल्लिखित परिपत्र द्वारा कवर नहीं की जाती है चूंकि परिपत्र पुनर्बीमाकर्ता के साथ बीमाकर्ता द्वारा खर्चों को बांटने के बारे में बताता है। इस मामले में पॉलिसी जीआईसी द्वारा अंकित नहीं की जाती है और उसने कोई खर्च नहीं किया था जिसे अन्य बीमाकर्ता से वसूल किए जाने की आवश्यकता है। जीआईसी पूल का प्रबन्ध कर रहा है जो पुनर्बीमा की अपेक्षा एक अलग सेवा है और इसलिए इस सेवा के लिए सभी सदस्यों से एक

राशि प्रभारित कर रहा है। इसलिए पूल के प्रबन्ध के लिए प्राप्त प्रतिफल के लिए सेवा कर उदग्राह्य है।

ii) मोटर थर्ड पार्टी पूल के सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

गैर जीवन बीमा कम्पनियों तथा जीआईसी आरई बीमांकन के बीच बहुपक्षीय पुनर्बीमा प्रबन्ध के अंतर्गत आईआरडीए के निर्देशों पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकमात्र रूप से अप्रैल 2007 से प्रभावी भारतीय मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंश पूल (आईएमटीपी आईपी) का प्रबन्धन राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी को सौंपा गया था।

जीआईसी आरई के लेखाओं तथा वार्षिक रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 27.19 करोड़ तथा ₹ 27.75 करोड़ की प्रशासनिक फीस/सेवा प्रभार अर्जित किए जो मोटर पूल से संबंधित/अन्य आय में शामिल खर्चों के साथ निवल था। ये राशियां सेवाओं के कर योग्य मूल्य में शामिल की जानी थीं क्योंकि ये वित्त अधिनियम की धारा 67 के अनुसार 'प्रभारित सकल राशि' के भाग से होगीं। हमने देखा कि इन राशियों को 2011-12 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 2.80 करोड़ एवं ₹ 2.86 करोड़ की राशि की कर योग्य सेवाओं, सेवा कर के मूल्य में शामिल नहीं किया गया था जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 इस मामले में भी लागू था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के अनुसार करयोग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा ''प्रभारित सकल राशि'' होगी। वर्तमान मामले में परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 लागू नहीं है।

2.6.3 सेवा कर का कम भुगतान

एसटी 3 विवरणी में प्रदर्शित करयोग्य आय के साथ वार्षिक लेखाओं (तुलन पत्र शेष परीक्षण) में प्रदर्शित सकल आय के मिलान के आधार पर की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित 4 मामलों में ₹ 14.73 करोड़ के सेवा कर के कम भुगतान का पता चला:

तालिका 2.7: सेवा कर का कम भुगतान

(₹ लाख में)

निर्धारिती (आपत्ति में शामिल अवधि)	लेखापरीक्षा आपत्ति	सेवा कर	ब्याज (लेखापरीक्षा की तारीख तक विलम्ब अवधि)	ब्याज सहित सेवा कर कम भुगतान
मै. ओरियन्टल इंश्योरेंश कं. लि. एलटीयू कमिश्नरी दिल्ली (2011-12)	लेखाओं तथा एसटी3 विवरणियों में सकल प्रीमियम आय की मिलान विवरणी के अनुसार प्रीमियम आय में ₹ 105.39 करोड़ का अन्तर था।	1,085.49	325.65 (अप्रैल 2012 से नवम्बर 2013 तक 20 माह)	1,411.14
(2012-13)	1 अप्रैल 2012 से 12.36 प्रतिशत की बढ़ी दर के प्रति 10.3 प्रतिशत की दर पर बीमा/किराया सेवाओं आदि पर सेवा कर अदा किया गया था।	29.52	7.22 (नवम्बर 2013तक 18 से 12 माह तक का विलम्ब)	36.74
मै. एस इंश्योरेंश ब्रोकर्स लिमि; एसटी कमश्नरी दिल्ली (2011-12)	तुलन पत्र के अनुसार सकल कर योग्य आय ₹ 31.56 करोड़ थी जबकि विवरणी के अनुसार सकल आय ₹ 30.31 करोड़ थी परिणाम स्वरूप ₹ 1.26 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ।	12.96	3.89 (अप्रैल2012 से नवम्बर 13 तक 20 माह का विलम्ब)	16.85
मै. श्रीधर इंश्योरेंश ब्रोकर्स एसटी कमिश्नरी दिल्ली (जनवरी 2013 से मार्च 2013)	वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9.31 करोड़ की दलाली आय में से ₹ 8.02 करोड़ दर सेवा कर अदा किया गया था और ₹ 0.55 करोड़ वीसीईएस के अन्तर्गत घोषित किया गया था तथापि शेष ₹ 0.47 करोड़ पर कर भुगतान नहीं किया गया था।	5.22	0.71 (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 तक 9 माह विलम्ब)	5.93
मै. हाक विजन लिमि. एसटी कमिश्नरी दिल्ली (2010-11 से 2012-13)	टीडीएस में दर्शाई सकल प्राप्तियों और एसटी-3 विवरणी की सकल प्राप्तियों में ₹ 18.42 लाख का अंतर हुआ था।	1.90	0.43 (नवम्बर 2013 तक 32 से 8 माह तक विलम्ब)	2.33
			जोड़	**1,472.99**

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि मै. ओरियन्टल ने ₹ 10.85 करोड़ का भुगतान कर दिया है और ब्याज तथा शास्ति के लिए एससीएन जारी किया गया था। मै. एस इंश्योरेंश ब्रोकर्स लिमिटेड तथा मै. हाकविजन लिमि. के मामले जांच के अधीन हैं और एससीएन जारी किए जाएंगे यदि मांग की जाती है। मै. श्रीधर लिमि. ने ₹ 5.93 लाख के सेवा कर का भी भुगतान कर दिया है।

2.6.4 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम की धारा 75 के अनुसार निर्धारिती सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज भुगतान करने का दायी है। निर्धारित दर 1 अप्रैल 2011 से 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

हमने एसटी कमिश्नरी दिल्ली में 6 मामलों में सेवा कर के विलम्बित भुगतान के उदाहरण देखे जिन पर ₹ 13.23 लाख का ब्याज वसूली योग्य था।

तालिका 2.8 देय ब्याज का भुगतान न करना

(₹ लाख में)

निर्धारिती	सेवा कर* के विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज
मै. कार्पोरेट वारन्टीज लिमि.	10.69
मै. बजाज कैपीटल इंश्योरेंश ब्रोकिंग लिमिटेड	1.74
मै. अलमण्डज इंश्योरेंश ब्रोकर्स प्रा. लिमि.	0.34
मै. यूनियन इंश्योरेंश ब्रोकिंग सर्विसेज लिमि.	0.24
मै. फेयरडील इंश्योरेंश ब्रोकर्स लिमि.	0.15
मै. डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमि.	0.07
जोड़	**13.23**

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तक मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी निर्धारितियों ने ब्याज भुगतान कर दिया था।

2.6.5 सेनवेट क्रेडिट

2.6.5.1 सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3के प्रावधानों के अन्तर्गत एक सेवा प्रदाता को करयोग्य आउटपुट सेवा देने में प्रयुक्त किसी 'इनपुट सेवा' पर

प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट लेना अनुमत है। शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर लिया गया क्रेडिट मूल सेवा कर के भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

पुणे III कमिश्नरी में मै. बजाज आलियंज जनरल इंश्योरेंश कं. लिमि. की 2011-12 की अवधि विवरणियों की संवीक्षा से माह अक्तूबर 2011 के लिए ₹ 14.30 लाख के अग्रेनीत सेनवेट क्रेडिट में विसंगति का पता चला जो सेनवेट क्रेडिट नियमों के अनुसार अस्वीकार्य मूल कर तथा शिक्षा उपकर के गलत समायोजन के कारण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.30 लाख का अधिक क्रेडिट लिया गया और अनुवर्ती माह में उपयोग किया गया जिसे वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती ने त्रुटि सुधार ली और ब्याज तथा शास्ति के लिए एससीएन जारी किया गया था।

2.6.5.2 गैर करयोग्य/मुक्त आउटपुट सेवाओ में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत एक सेवा प्रदाता को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66/66क (1 जुलाई 2012 से धारा 66ख) के अन्तर्गत किसी इनपुट सेवा पर प्रदत्त उदग्रहण सेवा कर का क्रेडिट लेना अनुमत किया जाता है।

वित्त अधिनियम 1994के अध्याय V की धारा 64 जम्मू - कश्मीर राज्य को सेवा कर की प्रयोज्यता से बाहर करती है। इसलिए यदि सेवा कर जम्मू तथा कश्मीर में कारबार करने के लिए बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन के सम्बन्ध में अदा किए जाने को देय नहीं है तो इसका क्रेडिट लिया नहीं जाना चाहिए।

क) हमने निम्नलिखित उदाहरण देखे जहां निर्धारितियों ने जम्मू तथा कश्मीर में (जो गैर कर योग्य सेवाएं हैं) कारबार करने के लिए बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन पर ₹ 64.26 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। जो ऊपर कथित प्रावधान के मद्देनजर अस्वीकार्य था और ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

तालिका 2.9: गैर करयोग्य आउटपुट सेवाओ में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

(₹ लाख में)

निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन पर प्रदत्त सेवा कर
मै. बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.	पुणे III	38.40
मै. एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंश कं. लिमि.	एसटी- I, मुम्बई	1.53
मै. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंश कं. लिमि.	एसटी-II, मुम्बई	24.33
	जोड़	**64.26**

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने मै. बजाज अलियांज इंश्योरेंश तथा मै. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंश कं. लिमि. के मामले में आपत्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2014) और सूचित किया कि मै. बजाज आलियांज ने ₹ 14.23 लाख के ब्याज के साथ ₹ 60.77 लाख का सेनवेट क्रेडिट वापस कर दिया था और शास्ति हेतु एससीएन जारी किया जा रहा था जबकि मै. रिलायंस का मामला सत्यापित किया जा रहा था और एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तथापि, मै. एचडीएफसी इर्गो के मामले में मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया कि क्योंकि जे एण्ड के में सेवा कर प्रावधान लागू नहीं हैं इसलिए ऐसी सेवाओं के लिए कोई कर देय नहीं है और निर्धारिती पहले कर भुगतान करता है और तब इसका सेनवेट क्रेडिट लेता है और कबायद में राजस्व निष्क्रिय है।

मंत्रालय ने समान मामलों के लिए दो अलग आधार लिए हैं। मंत्रालय को मामले में समान आधार लेने और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तथापि मै. एचडीएफसी इर्गो के मामले में मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अनुसार धारा 66, 66क अथवा 66ख के अन्तर्गत सेवा कर के लिए क्रेडिट स्वीकार्य है और जे एण्ड के पॉलिसियों के लिए प्रदत्त सेवा कर अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अलावा यद्यपि जे एण्ड के पॉलिसियों के लिए सेवा कर भुगतान करने और तब क्रेडिट लेने की कबावद में राजस्व निष्क्रिय है इसलिए गैर कर योग्य पॉलिसियों पर प्रदत्त कर जे एण्ड

के ग्राहकों को दे दिया जाता है जो जे एण्ड को कर मे न लाने के विधान के अभिप्राय को परिभाषित करता है।

ख) हमने यह भी पाया कि बीमाकर्ता ने करयोग्य तथा मुक्त सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) में अपेक्षा के अनुरूप कर योग्य आउटपुट सेवाओं तथा गैर कर आउटपुट सेवाओं (जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित) के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे नहीं बनाएं। जुलाई 2012 से पूर्व ऐसे अलग लेखाओं के अनुरक्षण हेतु कानून अथवा नियमों में कोई अपेक्षा नहीं थी। तथापि हमने नोट किया कि ऐसी अपेक्षा के अभाव का परिणाम सेनवेट को लागू करने पीछे तर्क के उल्लंघन में होता है क्योंकि इसका अर्थ केन्द्र सरकार के राजस्व को योगदान न करने वाली सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट सेवाओं का उपयोग अनुमत करना होता है।

सेवा कर-I मुम्बई कमिश्नरी में तीन निर्धारितियों की अभिलेखों को जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान करयोग्य तथा गैर करयोग्य सेवाओं के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे। यदि हम सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) की अनुरूपता लागू करते हैं तो सेनवेट क्रेडिट का अपेक्षित उलटाव ₹ 2.31 करोड़ बनेगा।

तालिका 2.10: जम्मू तथा कश्मीर सम्बंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट

(₹ लाख में)

कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	अवधि	जे एण्ड के सम्बन्धित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट
एसटी-I कमिश्नरी मुम्बई	मै. एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंश कं. लिमि.	2011-12	5.27
	मै. आईसीआईसीआई प्रडेंशीयल लाइफ इंश्योरेंश कं. लिमि.	2010-11	76.46
	मै. न्यू इण्डिया एश्योरेंश कं. लिमि.	2012-13	150.18
	कुल		**231.91**

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि क्योंकि सेवा कर के प्रावधान जे एण्ड के को लागू नहीं है इसलिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) जो आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट के उलटाव की अपेक्षा करता है, भी लागू नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामला जे एण्ड के में सेवा कर की उदग्राहयता से संबंधित नहीं है परन्तु सेवाओं, जो करयोग्य नहीं है, के लिए जे एण्ड के कर योग्य क्षेत्र में अनियमित सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने से सम्बन्धित है। जे एण्ड के से सम्बन्धित सेवाओं जो कर योग्य नहीं है, पर क्रेडिट का उलटाव न करना सेनवेट क्रेडिट योजना के मूल तर्क की अवज्ञा होगा। यह मामला मारूति सुजुकी लिमि. के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद के संबंध में भी निर्णीत किया गया है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विद्युत, गैर शुल्क योग्य उत्पाद, के लिए क्रेडिट शुल्क योग्य उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त न की गई सीमा तक पात्र नहीं है। सेवा कर के संबंध में उचित संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, भी दिया जाए।

2.7 अन्य मामले

उपर्युक्त के अतिरिक्त हमने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 4 अन्य मामले देखे जिनमें ₹ 9.04 लाख का कर प्रभाव अन्तर्गस्त है जिसमें ₹ 8.11 लाख वसूल कर लिए गए थे।

2.8 निष्कर्ष

जबकि बीमा क्षेत्र की सेवाओं का सेवा कर राजस्व को बहुत महत्वपूर्ण रूप से अंशदान करना जारी है वहीं सरकार को पहुंचने के लिए देय राजस्व का कम से कम कुछ भाग हमारे अनुपालन सत्यापन तन्त्रों में प्रतिबन्धों तथा प्रावधानों में कमी/अस्पष्टता जैसे विभिन्न घटकों के कारण सरकार को पहुंचने में विफल हो जाता है।